

13/11/2017 वृत्तियुक्त

पञ्जाब राज्य

उभयपक्ष की आपसी सहमति से राजीनामा पेश

किया तथा प्रकरण तहसीलदार मांजरा के विभागे

वर्षी का निर्देशन किया। इस पर उभयपक्ष के सुना

गया। उभयपक्ष आर्थिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण

करने हेतु सहमत है। अतः अपील नं० 2 की अपील अर्थात्

राजीनामा स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मांजरा

द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्थ/1208 दि. 10/7/2012

को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के

साथ तहसीलदार मांजरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है

कि वे पञ्जाब की सहमति के आदेश पर राजस्थान

कार्यकारी आधिनियम 1955 की धारा 53(2) तथा

राजस्थान कार्यकारी (राजस्थान मंडल) अधिनियम

2 के नियम 18 से 21 में विहित प्रक्रिया की पालना करते

हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति

तहसीलदार मांजरा के आवश्यक कार्यवाही हेतु मिजवाड़

जिले/वाक पालना पदावली केसल में सुमार होकर नक्का

से भेजा।

मीरजी लाल
अमराम

जति. विज नरकर, पाटी